संख्या-13/2018/442/94-स्टा०नि०-2-2018-700(447)/2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 मई, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा विकसित औद्योगिक परियोजनाओं में कारपोरेशन द्वारा लीज विलेख का रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आवंटी का भूखण्ड आवंटन निरस्त करने के उपरान्त लेवी प्राप्त कर आवंटन के पुनर्जीवीकरण संबंधी विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (यू०पी०एस०आई०डी०सी०) अथवा अन्य शासकीय संस्थाओं द्वारा विकसित भूखण्डों को लीज पर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं को उद्योग स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटित किया जाता है तथा कतिपय मामलों में उक्त आवंटन निरस्त करने के पश्चात पुनर्जीवीकरण शुल्क लेकर उसी मूल आवंटी के पक्ष में आवंटन का पुनर्जीवीकरण कर दिया जाता है।

2. शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय कारणों से मूल आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन रद्द/निरस्त करने के पश्चात पुन: उसी मूल आवंटी के पक्ष में उसी भूखण्ड का पुनर्जीवीकरण की स्थिति में सृजित विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता की स्थिति अस्पष्ट है।

3. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (यू०पी०एस०आई०डी०सी०) अथवा अन्य शासकीय संस्थाओं द्वारा विकसित भूखण्डों का लीज-विलेख निबंधित कराने के पश्चात यदि इन संस्थाओं द्वारा संबंधित भूखण्डों के संबंध में अन्य कोई प्रभार्य, अर्थदण्ड, जुर्माना, अथवा पुनर्जीवीकरण शुल्क इत्यादि मूल आवंटी से वसूल किया जाता है और संबंधित वसूली के पश्चात कोई विलेख निष्पादित किया जाता है तो ऐसे विलेख को मूल विलेख का पूरक विलेख मानते हुए अतिरिक्त उदग्रहीत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि को प्रतिफल मानते हुए उसी प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क देय होगा, बशर्ते कि पूर्व पंजीकृत मूल विलेख में वर्णित शर्ते यथावत हो।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, नाएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण।
4- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि अपने जनपद में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।